

दिनांक 04/05.08.2020 की रात्रि में एक घर के अन्दर ग्राम ठाकुरपुर नं0- 1 टोला गड़हिया में अज्ञात बदमाशो द्वारा किये गये दोहरे हत्याकाण्ड का अनावरण अभियुक्त मय आलाकत्ल (हथौड़ी व चोरी के रुपये एवं मंगलसूत्र व चोरी गयी मोबाइल) सहित गिरफ्तार थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

घटनाक्रम - दिनांक 04/05.08.2020 की रात्रि में ठाकुरपुर नं0- 1 टोला गड़हिया में सड़क के किनारे एक अकेला मकान बागीचे के पास स्थित है जिसमें उस रात एक महिला व पुरुष को गम्भीर चोट पहुँचा कर हत्या की गयी थी तथा मौके पर कमरे के अन्दर रखा सारा सामान बिखरा हुआ था एवं बक्से में रखा हुआ सारा सामान बाहर फेका गया था तथा मौके से मृतक अनरजीत गुप्ता व रीमा गौड़ के तीन मोबाइल गायब थे ।

घटना के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर द्वारा, उपरोक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए घटना मे शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु पुलिस की टीम बनाकर लगाया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरीजनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा /अपराध जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में सर्विलांस सेल तथा प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मय टीम के साथ उपरोक्त घटना के अनावरण व मुकदमे में शामिल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। उक्त टीमो द्वारा घटना मे शामिल अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जानकारी व इनके गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा था , जिसके लिये मुखबिर मामूर किये गये थे। घटना के क्रम में भिन्न-भिन्न स्थलो से भिन्न-भिन्न सीसीटीवी कैमरों की फुटेज प्राप्त की गयी एवं दिनांक 10.08.2020 को थाना गुलरिहा क्षेत्र के लकड़ी चोरो के मोबाइल नम्बरो को सर्विलांस पर लिया गया जिससे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त रहीमुद्दीन उर्फ रामदीन पुत्र सुभान अली एवं इसके एक साथी द्वारा मृतक अनरजीत गुप्ता जो गैस सिलेण्डर वितरण करने का कारोबारी था उससे पैसा लूटने / चोरी करने की नियत से घटना को कारित किया गया है । अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा बरामदगी हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर लगाया गया जिस क्रम मे मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि अपराधी रहीमुद्दीन उर्फ रामदीन पुत्र सुभान अली अपने गाँव सकलदीपपुर से भटहट आकर बस पकड़कर नेपाल भागने वाला है इसी क्रम में इसकी गिरफ्तारी रामनगर चौराहे से दिनांक 04.10.2020 को की गयी । पूछताछ करने पर बताया कि मैं व मेरा साथी खुशबुद्दीन उर्फ कटहवा पुत्र रमजान जो कि मेरे ही गाँव सकलदीपपुर का निवासी है यह लकड़ी का कारोबार करता है । एक बार खुशबुद्दीन जंगल से चोरी की लकड़ी काट कर मृतक अनरजीत गुप्ता की पिकअप पर लादकर ले जा रहा था वह गाड़ी बन विभाग द्वारा पकड़ ली गयी थी जिसका जुर्माना एक लाख रुपया वाहन स्वामी / मृतक अनरजीत गुप्ता द्वारा दिया गया और खुशबुद्दीन ने वह पैसा एक महीने के अन्दर वापस करने का वादा किया था वही पैसा बार बार मृतक अनरजीत खुशबुद्दीन से माँगता था तो खुशबुद्दीन ने योजना बनाई कि प्रतिदिन गैस सेलेण्डर बिक्री का पैसा अनरजीत गुप्ता अपने साथ लेकर अपने घर जाता है और वही रखता है इसी क्रम में हमदोनो द्वारा मृतक अनरजीत गुप्ता की एक हफ्ते तक रेकी की गयी दिनांक 04.08.2020 को मृतक के पास लगभग 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रुपये थे यह बात खुशबुद्दीन, अनरजीत के पास जाकर बातचीत कर पैसे को देखकर कन्फर्म कर लिया था तब हम दोनो ने योजना बनाई कि आज इसका सारा पैसा ले लेना है और इसकी हत्या कर देना है ताकि उधार पैसा भी न देना पड़े और कुछ अतिरिक्त पैसा भी मिल जायेगा । परन्तु जब हमदोनो साथी वाहन एवं हत्या करने वाले हथियार की व्यवस्था में लग गये उसी बीच मृतक अनरजीत एक लाख रुपया भटहट जाकर गैस एजेन्सी पर जमा कर दिया, मात्र 60,000/- (साठ हजार) रुपया ही अपने घर के बक्से में रखा था । यह एक लाख रुपया जमा करने वाली बात घटना के अगले दिन हमको पता चली । हमदोनो घटना के दिन शाम को 7 बजे तक मृतक अनरजीत गुप्ता जहाँ रहता था वही बाग के पास आ गये और बाग में बने मन्दिर के पास अपना मोटर साइकिल छिपा कर दो बार हमदोनो मृतक के घर जाकर रेकी किये कि वह आया की नही, रात में 9 बजे के करीब मृतक मोटर साइकिल से अपने घर आया हमलोगो ने उसको आते हुए देखा उसके एक घण्टा बाद हमदोनो सड़क के तरफ मृतक के घर में बने रोशनदान के रास्ते उसके घर में घुस गये तथा मृतक व महिला घर में सोये हुए थे सोते समय ही हथोड़ी व फावड़े से उनके सिर में लगातार वार किये जिससे उन दोनो की मौत हो गयी । उसके बाद भी खुशबुद्दीन हथौड़ी में बने छिनी से अनरजीत गुप्ता के चेहरे पर कई वार किया और कहता रहा बार बार पैसा माँग कर समाज में मुझे बेइज्जत करता था उसके

बाद मृतक के घर का बक्सा खोलकर बक्सा में रखा साठ हजार रुपया एक मंगलसूत्र, एक जोड़ा चाँदी का पायल व मृतक व मृतका के मोबाइल लेकर हमलोग निकलने लगे तभी खुशबुद्दीन ने कहा कि बिस्तर पर से दोनो को उतार कर जमीन पर रख दो ताकि खून जमीन में सूख जायेगा इसी क्रम में हमने अनरजीत को जमीन पर उतार कर रख दिया और महिला को उतार रहे थे कि सड़क की तरफ से एक गाड़ी गुजरी तो हमलोग महिला को तख्ते के कोने पर ही छोड़ दिये तथा हमलोग उन सभी मृतको का कपड़ा उतार कर कपड़ा जलाना चाहते थे तथा दोनो का शव उठाकर सामने वाले ताल में फेकना भी चाहते थे परन्तु गाड़ी की आवाज सुनकर हमलोग डर गये और बाहर की तरफ से दरवाजा बन्द करके चोरी से बागीचे के रास्ते से भाग गये। उसके बाद जंगल में जाकर अपना शर्ट व बनियान जिस पर मृतको का रक्त लगा था उसको जला दिये और बाद में अपने घर आते समय मलंग स्थान के पास मुझे लूट का बीस हजार रुपया व मृतका का एक मोबाइल व एक मंगलसूत्र हिस्से में मिला एवं बाकी माल व मोबाइल तथा फावड़ा खुशबुद्दीन अपने पास छुपा कर रखा है। अपराधी रहीमुद्दीन उर्फ रामदीन द्वारा मृतका रीमा गौड़ का लूटा हुआ मोबाइल, सोने का मंगलसूत्र व आलाकत्ल हथौड़ी अपने निशान देही पर बरामद करवाया है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता:-

रहमुद्दीन उर्फ रामदीन पुत्र सुभान अली निवासी जंगल डुमरी नं0- 2 टोला सकलदीपपुर थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर उम्र 26 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

रामनगर चौराहा थाना क्षेत्र गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 04.10.2020

अभियुक्त के पास से बरामदगी का विवरण

1. एक अदद सोने का मंगलसूत्र
2. एक अदद लोहे का हथौड़ी जिसका बेट भी लोहे का है तथा आगे छिन्नी का आकार बना हुआ है।
3. मृतका रीमा गौड़ का मोबाइल लावा कम्पनी का
4. चोरी का 3,000/- (तीन हजार) रुपया

अभियुक्त को जिन मुकदमों में गिरफ्तार किया गया का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 799/2020 धारा 302,460 भादवि0 थाना गुलरिहाजनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामपद

1. नि0 रवि कुमार राय प्र0नि0 मय हमराह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
2. नि0 रामभवन यादव प्र0 क्राइम थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 धीरेन्द्र राय सर्विलांस प्रभारी जनपद गोरखपुर।
4. उ0नि0 धनन्जय कुमार राय चौकी प्रभारी सरहरी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
5. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव चौकी प्रभारी खपड़हवा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
6. उ0नि0 संतोष यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
7. का0 नमित मिश्रा सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर
8. का0 गनेश प्रसाद सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर
9. हे0का0 रामकृपाल यादव थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
10. का0 उपेन्द्र सिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

अभियुक्त खुशबुद्दीन उर्फ कटहवा का आपराधिक इतिहास

क्रसं	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	424/2019	336,353,504,379 भादवि व 26 वन अधिनियम	गुलरिहा	गोरखपुर
2	799/2020	302,460 भादवि	गुलरिहा	गोरखपुर